प्रथम सूचना रिपोर्ट
दं0प्र0सं0 की धारा 154 के अन्तर्गत

1. जिला पंचकूला थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकूला वर्ष 2014 प्र0सु0रि0स0 08
   दिनांक 10.11.2014
2. धारा 7, पी.सी.एक्ट 1988
3. (क) अपराध की घटना : 10.11.14
   (ख) थाने में सूचना प्राप्त होने की तारीख : दिनांक 10.11.2014 समय 6:00 पी0एम0.
   (ग) रोजनामचा रिपोर्ट क्रम संख्या : 9
4. सूचना का प्रकार : लिखित
5. घटनास्थलः (क) पूर्व दिशा 4 कि0मी0, सै0–20, पंचकूला
6. शिकायतकर्ता / सूचनादाता
   नाम हरीश कुमार
   पिता का नाम बलवान सिंह
   राश्ट्रीयता भारतीय
   व्यवसाय बिजनैस मैन
   पता म0 न0 2561 / 21 पंचकूला
7. ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्तों का पूरा विवरण
   एस.के विज स्टेट आफिसर, चौधरी देवी लाल युनिर्वसिटी सिरसा।
   लिंग पुरूष
   भाषा हिन्दी
8. सूचनादाता द्वारा देरी से सूचना दिये जाने का कारण कोई नहीं।

प्रथम सूचना रिपोर्ट का विवरण :– सेवा मे पुलिस अधीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो, सै0–17, पंचकूला मण्डल पंचकूला श्री मान जी, निवेदन है कि मैं हरीश कुमार पुत्र श्री बलवान सिंह वासी गांव कन्डेला, जिला जीन्द अब मकान न0 256 सैक्टर–21 पंचकूला में रह रहा हुं। मैं बी0ए0 पास हुं। मैनें फ्रैन्डस सिक्योरिटी सर्विस के नाम से सिक्योरिटी उपलब्ध कराने का टैन्डर चौ0 देवी लाल युनिवर्सिटी सिरसा का दिनांक 01.09.2013 से 01.09.2014 तक का नियमानुसार लिया था, जो मैं इस युनिवर्सिटी में 340–50 आउटसोरसिंग के कर्मचारी दे रहा हुं। मैनें अपने इस स्टाफ के कर्मचारियों की माह जुलाई 2014 की सैलरी की एडवांस पैमेन्ट बजरिया चैक ओरियन्टल बैंक सिरसा में कर्मचारियों के खातें में एडवांस दे रखे है। जो युनिवर्सिटी की तरफ मेरे 25,27,406 /– रुपयें की राशि लेनी बकाया है जो युनिवर्सिटी में मुझें उक्त कर्मचारियों की ई0पी0एफ0 व ई0एस0आई0 की राशि के चैक अपने कार्यालय के पत्र 2720 दिनांक 05.11.2014 के द्वारा मुझें स्टेट आफिसर श्री एस0के0 वीज ने दे दिये है। जो मेरी उक्त 25,27,406 /– रुपयें की राशि युनिवर्सिटी की तरफ बकाया है, की पैमैन्ट करवानें के लियें चैक लेने के लिये श्री एस0के0 वीज को दिनांक 05.11.2014 को मिला, जिसने मुझे उक्त पत्र के साथ ई0पी0एफ0 व ई0एस0आई0 के चार चैक राशि 7,48,530, 1,89,982, 7,41,777, 1,88,296 कुल 18,68,558 /– रुपयें के चैक दे दिये, मगर मेरे द्वारा जो

एडवांस माह जुलाई 2014 की लेबर की पैमेन्ट के चैक देने के बारें में पूछा तो वह कहने लगा कि मैं आपकी बकाया पैमेन्ट जल्दी करवा दुंगा। जिसके लिये आपकों सेवा पानी करनी पड़ेगी। मैनें पुछा कि कितनी रिश्वत देनी पडेगी तो श्री वीज मुझें कहने लगा कि आपकों दो लाख रुपयें देने पडेंगे, जो इस राशि में से कुछ अकांउट आफिसर को व उच्च अधिकारी को भी देनी है, जो मैनें कहा कि आज तो मेरे पास इतना पैसा नही है, जो मैं पैसे का इन्तजाम करता हुं। मुझे श्री वीज कहने लगा कि मैं 10.11.2014 को पंचकूला आउंगा, तुम पैसे तैयार रखना। मैनें कहा कि दिनांक 10.11.2014 को मैं 75,000/– रुपयें आपकों दे दुंगा। जो आज सुबह 11:40 मिनट पर श्री वीज ने अपने मोबाईल फोन नम्बर 09996017002 से मोबाईल नम्बर 9023717000 पर कहा कि मैं आज पंचकूला आ रहा हुं। अगर तुम अपनी पैमेन्ट के चैक लेना चाहते हो तो जो हमारी बात हुई है, वह पैमेन्ट मुझे दे तो, मैं आपके ऑफिस में आउंगा, जो मेरे से आज श्री वीज 75,000/– रुपयें की राशि बतौर रिश्वत लेने मेरे दफतर में आ रहे है। जिनकों मैं रिश्वत की राशि नही देना चाहता, मगर श्री एस0के0 वीज एस्टेट ऑफिसर सी0डी0एल0यु0 सिरसा बिना रिश्वत लिये हमारें चैक जारी नही करेगें। मैं इनको रिश्वत लेने रंगे हाथों पकडवाना चाहता हुं। कृप्या कानूनी कार्यवाही की जायें। कार्यवाही पुलिस :– आज मन उप पुलिस अधीक्षक मय प्रवाचक ए0एस0आई0 जगतार सिंह न0 1278/अम्बाला के हाजिर मुख्यालय सैक्टर–6, पंचकूला में हुं कि श्री हरीश कुमार मुदई उपरोक्त ने मुलाकी होकर एक लिखित दरखास्त बाबत मांगने रिश्वत राशि विरुद्व एस0के0 वीज एस्टेट ऑफिसर चौधरी देवीलाल युनिवर्सिटी सिरसा के पेश की व इस दरखास्त के साथ 1000/1000 रुपयें वाले 75 करंसी नम्बरी नोट कुल 75,000/– रुपयें के पेश किये, जिनकी सूचि नोट मन उप पुलिस अधीक्षक ने अलग से तैयार की। जो मन उप पुलिस अधीक्षक ने ए0एस0आई0 रमेंश चन्द्र न0 1163/गुड़गांव, एच0सी0 श्याम लाल न0 289/पंचकूला, सिपाही सतबीर सिंह न0 601/अम्बाला, सिपाही रविन्द्र कुमार न0 289/अम्बाला को इतलाह करके व सिपाही अंशु कुमार न0 714/पंचकूला को भी मुख्यालय बुलाकर शामिल रेडिंग पार्टी की। जो मजबून दरखास्त से सरेदस्त जुर्म 7 पी0सी0 एक्ट 1988 का सरजद होना पाया जाने पर तहरीर हजा बराये कायमी मुकदमा बादस्त सिपाही अंशु कुमार न0 714/पंचकूला के थाना में भेजकर अनुरोध है कि मुकदमा दर्ज रजिस्टर करके प्रथम सूचना रिपोर्ट की स्पैशल रिपोर्ट सेवा में ईलाका मैजिस्टेट व प्रथम सूचना रिपोर्ट की अन्य प्रतियां सेवा में अफसरान बाला के भिजवाई जावें तथा नकल मिसल व असल तहरीर मौका पर आरिन्दा के हाथ भिजवाई जावें। जो मन मय मुलाजमान मय मुदई व छाया गवाह के बा सवारी गाड़ी एच.आर–03–1894 के चालक जगतार सिंह के रवाना कार्यालय उपायुक्त महोदय पंचकूला का बराय लेने अनुमति व लगवाने डियूटी अफसर का रवाना होता हूँ अफसरान बाला व उपायुक्त पंचकूला से अनुमित रेड लेकर आगामी कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी । अफसरान बाला रा0चौ0ब्यूरो, पंचकूला को हालात दरखास्त से अवगत करवाया गया। **हस्ता–राजपाल उप पुलिस अधीक्षक रा0चौ0ब्यूरो, पंचकूला । दिनांक 10.11.14 अज थाना :–** आज मन निरीक्षक को एक लिखित तहरीर श्री राजपाल उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय पंचकूला से प्राप्त हुई उक्त लेख पर अभियोग अकिंत करके स्पैशल रिपोर्ट सी.जी.एम पंचकूला की सेवा मे बादस्त सि0 अन्शु कुमार न0 714 पंचकूला भेजी जा रही है व असल तहरीर मय पुलिस मिसल बादस्त सि मजकूर बर मौका भेजी जा रही है व नकुलात प्रथम सुचना रिपोर्ट उच्च अधिकारियो की सेवा मे भेजी जा रही है ।

अनुसंधान अधिकारी – श्री राजपाल उप पुलिस अधीक्षक रा0चौ0ब्यूरो, पंचकूला ।

सी0जी0एम0 पंचकूला।
बदहस्त सि0 अन्शु न0 714/पंचकूला

निरीक्षक सुरेश कुमार,
हस्ता/–
निरीक्षक सुरेश कुमार, 191/एच.ए.पी
थाना रा0चौ0ब्यूरो, पंचकूला।